

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : २५ / २०२४ (ज.स.स. - २०२४/८५)

| वादी  | बनाम | प्रतिवादी   |
|---|------|---|
| 1. गुरप्रीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह<br>जटसिख निवासी 5 यू तहसील<br>श्रीकरणपुर। | जाति | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये<br>तहसीलदार श्रीकरणपुर |
| 2. लवप्रीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह<br>जटसिख निवासी 5 यू तहसील<br>श्रीकरणपुर।  | जाति |   |

तारीख रजु:- 15/02/2024

उपस्थित: स्वयं वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—निर्णय—

दिनांक : 15/02/2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम से किस्म बारानी दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। उक्त भूमि को पिछले 70 वर्षों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है एवं नहरी भूमि के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं नहरी शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। वर्तमान में भी बाराबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर सिंचाई पानी पर्यी जारी की जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि नहरी भूमि के रूप में जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की गई है। परन्तु राजस्व अभिलेख में लिपिकीय भूल के कारण प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि बारानी अंकित हो जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है इस कारण उक्त जमाबन्दी में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर बारानी से नहरी अंकन किया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 165 दिनांक 20.07.2021.02.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 5 यू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर बारानी भूमि प्रार्थीगण लवप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान सर्वजीत सिंह कम्बोज सिख के नाम ब.हि.ब. दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2013 ता 2016 में मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर


हैक्टियर की कुल 1.442 हैक्टियर रकबा नहरी दर्ज है। कार्यालय जल उभोक्ता संगम केसरीसिंहपुर की रिपोर्ट के अनुसार चक 5 यू के राजस्व मुरब्बा नम्बर 6, पत्थर संख्या 132/107 नहरी मुरब्बा नम्बर 76 है, एवं उक्त मुरब्बे में किला नम्बर 15, 16, 17, 23, 24, 25 कमाण्ड है, तथा लवप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान सर्वजीत सिंह के कब्जा काशत में है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक 5 यू के पत्थर संख्या 132/107 नहरी मुरब्बा नम्बर 76 के 5 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड शेष अनकमाण्ड है। तहसील कार्यालय श्रीकरणपुर के बेसिक रजिस्टर 18ए के अनुसार चक 5 यू के मुरब्बा नम्बर 06 के 5 बीघा नहरी एवं 1 बीघा बारानी कुल 6 बीघा रकबा हरसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति रायसिख को आवंटित हुई है। इस प्रकार प्रश्नगत रकबे में से 0.177 हैक्टियर रकबे की अन्तरराशि रुपए 1225 गुणा 0.177=858/- एवं ब्याज रुपए 858 गुणा 65 गुणा 12/100= 6693/- कुल रुपए 7551/- वसूली योग्य है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 5 यू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 की प्रति, राजस्व ग्राम 5 यू की जमाबंदी सम्वत 2013-16 के खाता संख्या 02/10 की प्रति, खसरा गिरदावरी चक 5 यू सम्वत 2070 ता 73 की प्रति, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.05.2022 की प्रति, परची बाराबन्दी की प्रति, सीसीए चक प्लान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टियर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार राजस्व ग्राम 5 यू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टियर बारानी भूमि प्रार्थीगण लवप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान सर्वजीत सिंह कम्बोज सिख के नाम ब.हि.ब. दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2013 ता 2016 में मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टियर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टियर की कुल 1.442 हैक्टियर रकबा नहरी दर्ज है। कार्यालय जल उभोक्ता संगम केसरीसिंहपुर की रिपोर्ट के अनुसार चक 5 यू के राजस्व मुरब्बा नम्बर 6, पत्थर संख्या 132/107 नहरी मुरब्बा नम्बर 76 है, एवं उक्त मुरब्बे में किला नम्बर 15, 16, 17, 23, 24, 25 कमाण्ड है, तथा लवप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान सर्वजीत सिंह के कब्जा काशत में है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक 5 यू के पत्थर संख्या 132/107 नहरी मुरब्बा नम्बर 76 के 5 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड शेष अनकमाण्ड है। तहसील कार्यालय श्रीकरणपुर के बेसिक रजिस्टर 18ए के अनुसार चक 5 यू के मुरब्बा नम्बर 06 के 5 बीघा नहरी एवं 1 बीघा बारानी कुल 6 बीघा रकबा हरसिंह पुत्र चन्द सिंह जाति रायसिख को आवंटित हुई है। इस प्रकार प्रश्नगत रकबे में से 0.177 हैक्टियर रकबे की अन्तरराशि रुपए 1225 गुणा 0.177=858/- एवं ब्याज रुपए 858 गुणा 65 गुणा 12/100= 6693/- कुल रुपए 7551/- वसूली योग्य है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, जल संसाधन विभाग उत्तरखण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।


  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 यू. पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुरब्बा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

  
[सिमा चन्द्र (आर.ए.एस.)]  
सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
[सिमा चन्द्र (आर.ए.एस.)]  
सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर 25/2023

निर्णय दिनांक :- 15.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 118/73 के मुर्बबा नम्बर 06 के किला नम्बर 15 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 15.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व}  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

| मुददई             | रूपया | पैसा | मुदायली           | रूपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदावा  | 02    | 00   | स्टाम्प वकालतनामा | 00    | 00   |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00    | 00   | स्टाम्प अरजी      | 00    | --   |
| स्टाम्प ड्यूटी    | 00    | 00   | मेहनताना वकील पर  | 00    | --   |
| योग               | 02    | 00   | योग               | 00    | 00   |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व}

दिनांक: 15.02.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/46

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व}

